भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

दिनांक: 23 /08/2023

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा युवा पेशेवरों (यंग प्रोफेशनल्स) की नियुक्ति।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने के लिए एक वर्ष (तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए संविदा आधार पर तैंतीस (33) युवा पेशेवरों (यंग प्रोफेशनल्स) (वाईपी) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पीआईबी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में अपेक्षित वाईपी की संख्या और इन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए वाईपी के लिए स्वीकार्य समेकित मासिक पारिश्रमिक और युवा पेशेवरों के रूप में नियुक्ति संबंधी पात्रता मानदंड के संबंध में विवरण ''**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा युवा पेशेवरों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और दिशानिर्देश"** में दिया गया है।

उम्मीदवारों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से जनता से जोड़ने वाले विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों जैसे प्रिंट, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए आकर्षक सामग्री तैयार करने, ग्राफिक्स डिजाइन करने और केंद्र सरकार की संचार आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से तैनाती के क्षेत्र/राज्य की भारतीय भाषा में सार्थक संदेश तैयार करने में कुशल होना चाहिए। यह देश और उससे बाहर के लिए सरकार के संप्रेषण में हमारी रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने का एक असाधारण अवसर है!

यदि आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी वेबसाइट - www.mib.gov.in - पर जाएँ और "पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय में युवा पेशेवरों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और दिशानिर्देश" देखें। कुछ अलग करने और एक बड़े अवसर का हिस्सा बनने का यह मौका न चूकें। आवेदन गूगल फॉर्म पर भर सकते हैं। गूगल फॉर्म तक पहुंचने के लिए वेब यूआरएल हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। **सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2023 है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री मिहिर कुमार झा, अवर सचिव (दूरभाष: 011-2338 5586, ई-मेल: mihir.jha@nic.in) से संपर्क किया जा सकता है।**

आवेदन करने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर दिए गए फॉर्म को भरें :
https://forms.gle/TVEp9SYLUnwkCaHp9

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
***

दिनांक: 23/08/2023

विषय: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा युवा पेशेवरों (यंग प्रोफेशनल्स) की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही हैं। ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

1. आवेदन का प्रयोजन और दायरा

1.1 युवा पेशेवर शीर्ष स्तर के होने चाहिए जो भारत सरकार की सेवा में अपनी विशेषज्ञता का लाभ दे सकें। एक युवा पेशेवर के रूप में, आप भारत सरकार की प्रचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

1.2 युवा पेशेवरों की सेवाओं के लिए अनुबंधों की सामान्य शर्तों को वैयक्तिक संविदाओं में शामिल किया जाएगा।

2. परिभाषाएं: निम्नलिखित परिभाषाएँ वर्तमान निर्देशों के प्रयोजन के लिए लागू होती हैं:

2.1 **"युवा पेशेवर" से अभिप्राय** सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने के लिए वैयक्तिक क्षमता में भर्ती किए गए व्यक्ति से है।

2.2 **"सेवाएं"** में कई प्रकार की सेवाएँ शामिल हैं जो पेशेवर प्रकृति की हैं और युवा पेशेवर द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं विशिष्ट प्रकृति की होंगी, जो विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों (प्रिंट, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन और सोशल मीडिया)के माध्यम से लोगों तक पहूंचने के लिए केंद्र सरकार की संप्रेषण आवश्यकताओं के प्रयोजन से सामग्री निर्माण (कंटेंट क्रिएशन), डिजाइनिंग, मैसेजिंग आदि पर केंद्रित होंगी।

3. संविदात्मक निबंधन एवं शर्तें

3.1 कानूनी स्थिति: युवा पेशेवर का चयन अल्पकालिक संविदा आधार पर किया जाएगा और उस पर न तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का एक "कर्मचारी

सदस्य" होने के नाते या सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का एक "अधिकारी" होने के नाते किसी भी उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार, संविदा के भीतर या उससे संबंधित कुछ भी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों और युवा पेशेवर के बीच नियोक्ता और कर्मचारी, या प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध स्थापित नहीं करेगा।

3.2 आचार मानक

3.2.1 सामान्य तौर पर, युवा पेशेवर संविदा के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर किसी भी प्राधिकारी से न तो निर्देश मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। युवा पेशेवर संविदा के निष्पादन के संबंध में या संविदा के तहत दायित्वों से संबंधित ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा जो भारत सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, और युवा पेशेवर संविदा के तहत अपने दायित्वों का पालन भारत सरकार के हितों को पूर्ण सम्मान देते हुए करेगा। युवा पेशेवर के रूप में यह नियुक्ति भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि, अधिकारी, नियोक्ता या अन्य एजेंट को संविदा के निष्पादन या उसके अवॉर्ड से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान नहीं करती है और न ही प्रदान करेगी। युवा पेशेवर संविदा के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। संविदा के निष्पादन के संबंध में युवा पेशेवर आचार मानकों का पालन करेगा। इसका अनुपालन करने में विफलता युवा पेशेवर के साथ संविदा को समाप्त करने का आधार हो सकती है।

3.2.2 **यौन शोषण और दुर्व्यवहार का निषेध:** संविदा के निष्पादन में, युवा पेशेवर "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013" का अनुपालन करेगा। युवा पेशेवर को यह संविदा स्वीकार करना होगा और सहमत होना होगा इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन संविदा की आवश्यक शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, और, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या उपचार के अलावा, संविदा को समाप्त करने के लिए आधार तैयार करेगा। इसके अलावा, यहां कुछ भी आचार के पूर्वगामी मानकों के किसी भी कथित उल्लंघन पर उचित कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राष्ट्रीय अधिकारियों को संदर्भित करने के भारत सरकार के अधिकार को सीमित नहीं करेगा।

3.3 शीर्षक अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य सांपत्तिक अधिकार:

3.3.1 संविदा के तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए युवा पेशेवर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किसी भी उपकरण और आपूर्ति का अधिकार दिया जा सकता है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में निहित होगा और ऐसे किसी भी उपकरण, संविदा की समाप्ति पर या जब युवा पेशेवर को

इसकी आवश्यकता नहीं हो, को सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे उपकरण, जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों को लौटाए जाते हैं, तो सामान्य टूट-फूट के अधीन उसी स्थिति में होंगे जैसे कि युवा पेशेवर को सौंपे गए थे, और युवा पेशेवर उपकरण की किसी भी क्षति या खराबी, जो सामान्य टूट-फूट से परे है, के लिए सूचना और प्रसारण या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.3.2 सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी ऐसी सभी बौद्धिक संपदा और अन्य सांपत्तिक अधिकारों के हकदार होंगे, जिसमें उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, सूचना के संबंध में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क या वे दस्तावेज़ और अन्य सामग्री जो युवा पेशेवर ने संविदा के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए विकसित की गई है और जिसका सीधा संबंध संविदा के निष्पादन के परिणामस्वरूप या उसके दौरान निर्मित या तैयार या एकत्र किया जाता है, शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, और युवा पेशेवर स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज़ और अन्य सामग्रियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्ति के समय किए गए कार्य हैं। पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन, संविदा के तहत युवा पेशेवर द्वारा संकलित या प्राप्त किए गए सभी दस्तावेज़ सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संपत्ति होंगे, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित समय और उचित स्थान पर उपयोग या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, इन्हें गोपनीय माना जाएगा और संविदा के तहत काम पूरा होने पर केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी अधिकृत अधिकारियों के क्षेत्रीय कार्यालयों को ही सौंपा जाएगा।

3.4 दस्तावेज़ों और सूचनाओं की गोपनीय प्रकृति: युवा पेशेवर भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन होंगे। युवा पेशेवर सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी की पूर्व मंजूरी के या अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन के अलावा, किसी पुस्तक या लेखों के संकलन का प्रकाशन या रेडियो प्रसारण में सहभागिता या किसी समाचार पत्र या पत्रिका में अपने नाम से या गुमनाम रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के छद्म नाम से या किसी लेख में योगदान देने या पत्र नहीं लिखेंगे, यदि ऐसी पुस्तक, लेख, प्रसारण या पत्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उसे सौंपी गई विषय वस्तु से संबंधित हो।

3.5 सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग: युवा पेशेवर वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजनों के लिए यह विज्ञापित या अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कोई संविदात्मक संबंध है न ही युवा पेशेवर, किसी भी

प्रकार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग करेगा या सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के इनके व्यवसाय या अन्यथा के संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के संक्षिप्त नामों का उपयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा।

3.6 **बीमा:** युवा पेशेवर संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त बीमा लेने और बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, साथ ही युवा पेशेवर अपने व्यय पर, जैसे कि जीवन, स्वास्थ्य और बीमा की अन्य प्रकार की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदार होगा जो युवा पेशेवर द्वारा उस अवधि को कवर करने के लिए उपयुक्त माना जाए जिस दौरान युवा पेशेवर संविदा के तहत सेवाएं प्रदान करता है।

3.7 यात्रा, मेडिकल क्लीयरेंस और सेवा के दौरान हुई मृत्यु, चोट या बीमारी:

3.7.1 युवा पेशेवर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय के किसी भी कार्यालय या परिसर में काम शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.7.2 युवा पेशेवर, जब वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के खर्चे पर यात्रा कर रहा है या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के किसी भी कार्यालय या परिसर या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा के तहत कोई सेवाएं दे रहा है, तब सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से संविदा की शर्तों के तहत, सेवाओं के निष्पादन के दौरान मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, युवा पेशेवर या युवा पेशेवर के आश्रित, जैसा उचित हो, किसी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

3.8 अप्रत्याशित घटना और अन्य शर्तें :

3.8.1 यहां प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना से तात्पर्य प्रकृति का कोई भी अप्रत्याशित और अप्रतिरोध्य कार्य, युद्ध का कोई भी कार्य (घोषित या अघोषित), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, या समान प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य है, बशर्ते कि ऐसे कार्य नियंत्रण से परे कारणों से हुआ हो न कि युवा पेशेवर की गलती या लापरवाही से।

3.8.2 युवा पेशेवर संविदा के तहत किसी भी दायित्व के संबंध में, स्वीकार करता है और सहमत है कि, युवा पेशेवर को किसी भी क्षेत्र में या उनके लिए कार्य निष्पादन करना होगा जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय नियोजित हैं, या शामिल

होने की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शांति स्थापना, मानवीय या इसी तरह के संचालन में, या उससे अलग हों, ऐसे क्षेत्रों के भीतर दायित्वों को पूरा करने में कठिन परिस्थितियों से होने वाली या संबंधित देरी या विफलता या ऐसे क्षेत्रों में होने वाली नागरिक अशांति की किसी भी घटना को संविदा के तहत अप्रत्याशित घटना में शामिल नहीं किया जाएगा।

3.9 संविदा का समापन: सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त कर सकते हैं। तथापि, सामान्य स्थिति में, संविदा की समाप्ति एक महीने का नोटिस/वेतन, जैसा भी मामला हो, देकर बिना कोई कारण बताए की जा सकती है। युवा पेशेवर सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को एक महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने की मांग भी कर सकता है।

3.10. लेखापरीक्षा और जांच: सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक चालान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षकों द्वारा भुगतान पश्चात लेखापरीक्षा, (पोस्ट पेमेंट ऑडिट), चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकृत और योग्य एजेंट द्वारा, संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय और संविदा की समाप्ति या पूर्व समाप्ति के बाद दो (2) वर्षों की अवधि के लिए अधीन होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय ऐसी लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई किसी भी धनराशि के लिए युवा पेशेवर से रिफंड के हकदार होंगे जिसका भुगतान सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संविदा के नियम एवं शर्तों के अलावा किया गया है। युवा पेशेवर स्वीकार करता है और सहमत है कि समय-समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय संविदा या उसके अवार्ड के किसी पहलू, संविदा के तहत निष्पादित दायित्वों और आमतौर पर संविदा के निष्पादन से संबंधित युवा पेशेवरों के कार्यों के संबंध में जाँच कर सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय का जांच करने का अधिकार और युवा पेशेवर द्वारा ऐसी जांच का अनुपालन करने संबंधी दायित्व संविदा की समाप्ति या पूर्व समाप्ति पर समाप्त नहीं होगा। युवा पेशेवर ऐसे किसी भी निरीक्षण, भुगतान के बाद की लेखा परीक्षा या जांच में अपना पूर्ण और समय पर सहयोग प्रदान करेंगे। इस तरह के सहयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु यह इस तक सीमित नहीं होगा, जिसमें युवा पेशेवर का दायित्व उचित समय पर और उचित शर्तों पर ऐसे उद्देश्यों के लिए अपने कार्मिक और किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज को उपलब्ध कराना होगा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय या क्षेत्रीय कार्यालयों को युवा पेशेवर के कार्मिक और प्रासंगिक दस्तावेजों तक ऐसी पहूंच के संबंध में उचित समय पर और उचित शर्तों पर युवा पेशेवर के परिसरों तक पहुंच उपलब्ध करायेंगे।

3.11 विवादों का निपटान: सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय और युवा पेशेवर संविदा या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न किसी भी विवाद, वाद-विवाद या दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

3.12 मध्यस्थता: पक्षों के बीच संविदा या उसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद, वाद-विवाद या दावा, यदि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, तो इसे दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा प्रधान महानिदेशक, पीआईबी को भेजा जाएगा जो विवाद/वाद-विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

3.13 हितों का टकराव: युवा पेशेवर से भारत सरकार के सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यधिक ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और ईमानदारी प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि युवा पेशेवर की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के हितों के विपरीत पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

4. विचारार्थ विषय

युवा पेशेवर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य नीचे पैरा **6.3** में दर्शाए गए "मुख्य उत्तरदायित्वों" पर आधारित होंगे और ये प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय या - पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी महानिदेशक (डीजी)/अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) द्वारा तय किए जाएंगे।

5. सामान्य निबंधन और शर्तें

5.1. कार्यकाल: नियुक्ति तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए होगी; पहले और उसके बाद के वर्ष से आगे जारी रखने के लिए संतोषजनक वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा पर निर्भर होगी।

5.2 युवा पेशेवरों को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय/पीआईबी में युवा पेशेवर के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.3 युवा पेशेवरों की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नियुक्ति रद्द कर सकता है।

5.4 युवा पेशेवरों की संख्या: सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 33 युवा पेशेवरों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

5.5 नियुक्ति का स्थान, प्रवीणता की भाषा और पारिश्रमिक: पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में युवा पेशेवरों की तैनाती, भारतीय भाषा (भाषाएं) जिनमें प्रवीणता आवश्यक है और इन क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के संबंध में पारिश्रमिक इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	**पीआईबी क्षेत्रीय कार्यालय**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**भारतीय भाषा**	**अपेक्षित युवा पेशेवरों की संख्या**	**पारिश्रमिक प्रति माह** (₹ में)
1	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	उर्दू	2	50000
2	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	पंजाबी और हिंदी	2	50000
3	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	बंगाली	2	60000
4	बेंगलुरु	कर्नाटक	कन्नड़	2	60000
5	मुंबई	महाराष्ट्र	मराठी और हिंदी	2	60000
6	गुवाहाटी	असम	असमिया	2	50000
7	अहमदाबाद	गुजरात	गुजराती	2	60000
8	चेन्नई	तमिलनाडु और पुड्डुचेरी	तमिल	2	60000
9	भुवनेश्वर	ओडिशा	उड़िया	2	50000
10	तिरुवनंतपुरम	केरल	मलयालम	2	50000
11	हैदराबाद	तेलंगाना	तेलुगू	2	60000
12	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	तेलुगू	1	50000
13	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	हिंदी	2	50000
14	पटना	बिहार	हिंदी	2	50000
15	रांची	झारखंड	हिंदी	1	50000
16	रायपुर	छत्तीसगढ़	हिंदी	1	50000

17	जयपुर	राजस्थान	हिंदी	2	50000
18	भोपाल	मध्य प्रदेश	हिंदी	2	50000
	कुल			**33**	

6. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रमुख उत्तरदायित्व, आवश्यकताएं:

6.1 **शैक्षणिक योग्यता:**

- **आवश्यक -** पत्रकारिता/जनसंचार/दृश्य संचार/सूचना कला/एनीमेशन और डिजाइनिंग/ साहित्य और रचनात्मक लेखन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

6.2 अनुभव, बुनियादी कौशल, उत्तरदायित्व, आयु और पारिश्रमिक:

क. स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के बाद **न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव, अधिमानत: संचार, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, एनीमेशन, संपादन और पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में।**

ख. जैसा कि पैरा 5.5 में दर्शाया गया है, अंग्रेजी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष की भारतीय भाषा(भाषाओं) में प्रवीणता। (भाषा योग्यता का उल्लेख बायोडाटा में किया जाना चाहिए जिसका आगे एक लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है)

6.3 प्रमुख उत्तरदायित्व:

- केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं, घोषणाओं और कार्यक्रमों से संबंधित संप्रेषण सामग्री विकसित करने के लिए अधिकारियों/विभागों और हितधारकों के साथ सहयोग करना।
- प्रेस विज्ञप्तियों, नीति संक्षेपों, फैक्ट शीट्स, भाषणों और अन्य संप्रेषण सामग्रियों के लिए सामग्री लिखना और संपादित करना
- संप्रेषण प्रयासों की सहायता हेतु इन्फोग्राफिक्स और सोशल मीडिया पोस्ट जैसे दिखने में आकर्षक ग्राफिक्स बनाना
- जनता के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुख्य संदेश और जानकारी पहुंचाने के लिए स्क्रिप्ट लेखन और संपादन सहित वीडियो विकसित और तैयार कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी संचार सामग्रियां सटीक, सुसंगत और ब्रांडिंग, शैली और संदेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं
- एक साथ कई प्रोजेक्ट प्रबंधित करना और उन्हें समय पर और बजट के भीतर प्रस्तुत करना

6.4 आवश्यकताएँ:

- संचार में मजबूत आधार के साथ सामग्री लेखन, वीडियो संपादन, ग्राफिक डिजाइन, पत्रकारिता में विशेषज्ञता
- जटिल विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से संप्रेषित करने की क्षमता के साथ उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
- एडोब फोटोशॉप एवं इलस्ट्रेटर, कैनवा आदि में दक्षता के साथ ग्राफिक डिजाइन कौशल वांछनीय है
- एडोब प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो जैसे वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर में दक्षता वांछनीय है
- आकर्षक सामग्री बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों से परिचित होना
- बारीकियों को पकड़ने और कार्यों को प्राथमिकता देने की क्षमता

नोट : पैरा 6.3.और 6.4 के संबंध में, युवा पेशेवरों को पैरा 5.5 में निर्दिष्ट भारतीय भाषा में इन उत्तरदायित्वों को निभाने में कुशल होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से अपना कार्य पोर्टफोलियो साझा करने के लिए कहा जा सकता है।

आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष (विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार) है। पीआईबी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में युवा पेशेवरों को प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक पैरा 5.5 में दी गई तालिका के अनुसार होगा। समेकित पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे। महंगाई भत्ता, आवासीय टेलीफोन, मकान किराया भत्ता, सीजीएचएस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे कोई भत्ते स्वीकार्य नहीं हैं।

7. टीए/डीए - सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, आधिकारिक कार्य के संबंध में देश में यात्रा के लिए टीए/डीए की अनुमति है। यात्रा का अनुमत तरीका इकोनॉमी क्लास में हवाई मार्ग से या एसी टू टियर में रेल मार्ग से हो सकता है। होटल आवास 2250/- रुपये प्रति दिन; शहर के भीतर यात्रा के लिए 338/- रुपये प्रति दिन का टैक्सी शुल्क और भोजन का बिल रु. 900/- प्रति दिन की अनुमति होगी।

8. चयन प्रक्रिया

8.1 युवा पेशेवरों का चयन जीएफआर 2017 में नियम 177 से 196 के अंतर्गत निहित प्रावधानों एवं परामर्श तथा अन्य सेवाएँ 2017 के लिए प्राप्ति मैनुअल के अध्याय-7

वैयक्तिक परामर्शदाता/सेवा प्रदाता का चयन (पैरा 7.1 और 7.2), अध्याय 6 (पैरा 7.5) के अनुसार किया जाएगा।

8.2 यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिसकी वेटेज कुल अंकों की 70% होगी। इस दिशानिर्देश में दिए गए अर्हता मानदंडों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के ही चयन और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का विचार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों (किसी विशेष क्षेत्र में भरे जाने वाले पदों की संख्या के आधार पर) का सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक संक्षिप्त इंटरेक्शन होगा, जिसका वेटेज कुल अंकों की 30% होगा। जो उम्मीदवार इस इंटरेक्शन के लिए उपस्थित नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. **भुगतान:** भुगतान सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जाएगा, जो तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा और जो अधिमानतः युवा पेशेवर द्वारा पंजीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर माह पूरा करने पर या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन करने पर एक सप्ताह के भीतर कर जारी किया जाएगा।

10. **छुट्टी:** युवा पेशेवर आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 18 दिन की छुटि्टयों के पात्र होंगे। इसके अलावा, एक महीने तक की अनुपस्थिति को बिना पारिश्रमिक के माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.04.2017 को संख्या एस-36012/03/2015-एसएस-1 के तहत जारी मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार महिला युवा पेशेवर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हो सकती हैं।

11. **स्रोत पर कर कटौती** : प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान करने से पहले स्रोत पर आय कर या कोई अन्य कयौती योग्य कर काटा जाएगा, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। वस्तु एवं सेवा कर, जैसा लागू हो, युवा पेशेवरों के लिए स्वीकार्य होगा। इस अनुबंध के तहत किए गए भुगतान पर युवा पेशेवरों द्वारा देय कर एवं अन्य अंश के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

12. **पुलिस सत्यापन:** युवा पेशेवरों का पुलिस सत्यापन गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि पुलिस सत्यापन नकारात्मक प्राप्त होता है, तो युवा पेशेवर का अनुबंध बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा।

13. **प्रशिक्षण** : कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, सभी युवा पेशेवरों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय या पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों, जहां भी युवा पेशेवरों की तैनाती हो,

द्वारा एक तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम(इंडक्शन प्रोग्राम) आयोजित किया जा सकता है।

14. **छूट** : जहां सचिव (सूचना और प्रसारण) का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकते हैं।

(अमरेन्द्र सिंह)
उप सचिव
ई-मेल: amrendra.singh@nic.in

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि: 30.9.2023

आवेदन करने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर दिए गए फॉर्म को भरें :
https://forms.gle/TVEp9SYLUnwkCaHp9